GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF SOCIAL JUSTICE & EMPOWERMENT
RAJYA SABHA
STARRED QUESTION NO - 104
ANSWERED ON - 28/07/2021

RIGHT TO IDENTIFY AND LIST BACKWARD CLASSES

104. # SHRI SUSHIL KUMAR MODI

Will the Minister of SOCIAL JUSTICE AND EMPOWERMENT be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the right to identify and list backward classes has been taken away from the States and given to the Central Government by the 102nd amendment of the Constitution;

(b) whether it is also a fact that the Supreme Court has rejected the review petition filed to retain the right of States to list backward classes; and

(c) if so, whether Government proposes to retain the right of States by amending the Constitution?

ANSWER

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF SOCIAL JUSTICE AND EMPOWERMENT (SUSHRI PRATIMA BHOUMIK):

(a) to (c) A statement is laid on the Table of the House.

*****

Statement in answer to parts (a) to (c) of the Rajya Sabha Starred Question No.104 for 28.07.2021 by Shri Sushil Kumar Modi regarding Right to identify and list backward classes.

(a) and (b) No Sir. The Constitution (One Hundred and Second) Amendment Act 2018 has inserted Article 342-A in the Constitution of India pertaining to the Central List of Socially and Educationally backward Classes (SEBCs - commonly known as other backward classes - OBCs), which had authorized the President to specify the Central list of the SEBCs, in relation to a particular State or Union Territory. Further, any modification to the central list of the SEBCs (OBCs) can be done only by the Parliament.

Hon'ble Supreme Court in W.P. 938/2020 has, on 5th May 2021, interpreted the Constitution (One Hundred and Second) Amendment Act 2018 and ordered that list specified by the President shall be the only list of SEBCs (OBCs) for all purposes of the Constitution, in relation to each State and Union Territory. The States do not have any power to publish their list of SEBCs.

The above Judgment of the Hon'ble Supreme Court did not take into account the legislative intent as reflected in the debates in Parliament preceding the enactment of the Amendment, where it was declared unequivocally that the Amendment would not impinge upon States' powers to recognize and declare those classes in the State which were backward. Hence a Review Petition has been filed for reconsideration of the Judgment, but the same has been dismissed.

(c) Government is in consultation with legal experts and the Ministry of Law and examining ways to protect the power of the States in determining the State list of OBCs for their respective States.

*****

भारत सरकार
सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय

राज्य सभा
तारांकित प्रश्न संख्या: *104
उत्तर देने की तारीख: 28.07.2021

पिछड़ा वर्गों की पहचान करने और उन्हें सूचीबद्ध किए जाने का अधिकार

*104. श्री सुशील कुमार मोदी:

क्या सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि संविधान के 102वें संशोधन द्वारा पिछड़ा वर्गों की पहचान करने और उन्हें सूचीबद्ध करने का अधिकार राज्यों से लेकर केन्द्र सरकार को दे दिया गया है;

(ख) क्या यह भी सच है कि उच्चतम न्यायालय ने पिछड़ा वर्गों को सूचीबद्ध करने का अधिकार राज्यों के पास बरकरार रखने संबंधी पुनर्विचार याचिका को खारिज कर दिया है; और

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार का संविधान संशोधन कर इस संबंध में राज्यों का अधिकार बनाए रखने का प्रस्ताव है?

उत्तर

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (सुश्री प्रतिमा भौमिक):

(क) से (ग): एक विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

"पिछड़ा वर्गों की पहचान करने और उन्हें सूचीबद्ध किए जाने का अधिकार" के संबंध में श्री सुशील कुमार मोदी द्वारा राज्य सभा में दिनांक 28.07.2021 को पूछे गए तारांकित प्रश्न संख्या 104 के भाग (क) से (ग) के उत्तर में उल्लिखित विवरण।

(क) और (ख) : जी, नहीं। संविधान (एक सौ दोवां) संशोधन अधिनियम, 2018 संविधान में सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों (एसईबीसी- अन्य पिछड़े वर्गों के रूप में सामान्यतया ज्ञात – ओबीसी) से संबंधित अनुच्छेद 342-क जोड़ा गया है, जिसके तहत राष्ट्रपति को राज्य अथवा संघ राज्य क्षेत्र विशेष के संबंध में एसईबीसी की केन्द्रीय सूची को विनिर्दिष्ट करने के लिए प्राधिकृत किया गया है। इसके अलावा, एसईबीसी (ओबीसी) की केन्द्रीय सूची में कोई संशोधन केवल संसद द्वारा किया जा सकता है।

माननीय उच्चतम न्यायालय ने दिनांक 5 मई, 2021 को डब्ल्यूपी 938/2020 में संविधान (एक सौ दोवां) संशोधन अधिनियम,2018 की व्याख्या की है और यह आदेश दिया है कि राष्ट्रपति द्वारा विनिर्दिष्ट एसईबीसी (ओबीसी) की सूची ही प्रत्येक राज्य और संघ राज्य क्षेत्र के संबंध में, संविधान के सभी उद्देश्यार्थ एकमात्र सूची होगी। राज्यों को एसईबीसी की अपनी सूची प्रकाशित करने का कोई अधिकार नहीं है।

माननीय उच्चतम न्यायालय के उपर्युक्त निर्णय में संशोधन के अधिनियमन से पहले संसद में हुए बहस में परिलक्षित विधायी आशय का संज्ञान नहीं लिया गया है, जहां एकमत से घोषित किया गया था कि संशोधन करने के संबंध में राज्यों के अधिकारों पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा। अतः निर्णय पर पुनर्विचार करने के लिए पुनरीक्षा याचिका दायर की गई है, परंतु उसे खारिज कर दिया गया है।

(ग): सरकार, विधि विशेषज्ञों और विधि मंत्रालय के साथ परामर्श कर रही है तथा अपने-अपने राज्यों में ओबीसी की राज्य सूची निर्धारित करने के लिए राज्यों के अधिकार की रक्षा के तरीकों की जांच कर रही है।

*****

श्री सुशील कुमार मोदी: माननीय उपसभापति जी, सरकार ने अपनी मंशा जाहिर कर दी है कि उसकी मंशा राज्यों के अधिकार में कटौती करने की नहीं थी। ...**(व्यवधान)**... लेकिन 102वें संविधान संशोधन की सुप्रीम कोर्ट ने जो व्याख्या की, उसमें पिछड़े वर्गों की पहचान करने और सूची बनाने का जो अधिकार था, वह राज्यों से लेकर केन्द्र को सौंप दिया। ...**(व्यवधान)**... सुप्रीम कोर्ट ने review petition भी reject कर दी थी। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या सरकार संविधान में संशोधन करके राज्यों को अधिकार देने के लिए तैयार है? ...**(व्यवधान)**... क्योंकि review petition reject हो गई है, इसलिए संविधान में संशोधन करने के अलावा कोई अन्य विकल्प नहीं है। ...**(व्यवधान)**...

मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि संविधान में संशोधन करने के बारे में सरकार का क्या विचार है? ...**(व्यवधान)**...

सुश्री प्रतिमा भौमिक: उपसभापति महोदय, माननीय वरिष्ठ सदस्य ने पिछड़े वर्गों के लिए जो चिंता जताई है, वह चिंता सबकी है। ...**(व्यवधान)**... सुप्रीम कोर्ट में हम लोगों ने याचिका दायर की थी, उसको भी खारिज किया गया है। ...**(व्यवधान)**... सरकार इसके लिए संवेदनशील है। ...**(व्यवधान)**... जो विधि विशेषज्ञ हैं, उनके साथ बात करके जो भी करना है, वह सरकार करेगी। ...**(व्यवधान)**... माननीय वरिष्ठ सदस्य को मैं आमंत्रित करती हूं कि वे मेरे ऑफिस में आएं, हम इस विषय में उन्हें और भी जानकारी देंगे। ...**(व्यवधान)**...

श्री सुशील कुमार मोदी: उपसभापति महोदय, मेरा इसी से जुड़ा हुआ प्रश्न है। ...**(व्यवधान)**... Medical undergraduate and PG के नामांकन में, जो भारत सरकार का 15 per cent All India quota है, जो OBC का 27 per cent आरक्षण है, वह नहीं दिया जा रहा है। ...**(व्यवधान)**... मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि Madras High Court के निर्देश पर जो five member committee बनी थी, that has recommended that 27 per cent reservation for OBC should be provided in All India quota. मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या Medical undergraduate and PG में रिज़र्वेशन देने के बारे में सरकार विचार कर रही है? ...**(व्यवधान)**...

श्री उपसभापतिः माननीय मोदी जी, आप briefly पूछिए। ...**(व्यवधान)**...

श्री सुशील कुमार मोदी: क्या सरकार Medical undergraduate and PG में 27 परसेंट OBC को reservation देने पर विचार कर रही है? ...**(व्यवधान)**...

सुश्री प्रतिमा भौमिकः माननीय उपसभापति महोदय, ओबीसी रिज़र्वेशन के लिए Central Government का जो भी quota है, वह यथावत स्थिति में है। ...**(व्यवधान)**...

श्री उपसभापतिः श्री राम नाथ ठाकुर जी। ...**(व्यवधान)**...

श्री राम नाथ ठाकुरः उपसभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि विधि विशेषज्ञों से परामर्श करके कब तक विधि मंत्रालय इस पर कार्रवाई करेगा? ...**(व्यवधान)**...

सुश्री प्रतिमा भौमिक: माननीय सदस्य, क्या आप अपना प्रश्न दोबारा से repeat करेंगे? ...**(व्यवधान)**...

श्री राम नाथ ठाकुर : आपने लिखित में उत्तर दिया है कि सरकार विधि विशेषज्ञों और विधि मंत्रालय के साथ परामर्श कर रही है। मैं जानना चाहता हूं कि आप विधि विशेषज्ञों से और विधि मंत्रालय से परामर्श करके कब तक कार्रवाई करेंगी? ...**(व्यवधान)**...

सुश्री प्रतिमा भौमिक: उपसभापति महोदय, माननीय वरिष्ठ सदस्य ने जो प्रश्न किया है, उसके संबंध में हमारी सरकार संवेदनशील है। ...**(व्यवधान)**... जो विधि विशेषज्ञ हैं, उनसे बात करके जो भी स्थिति है, उस पर हम और भी चर्चा करके इसको करेंगे!

श्री जयप्रकाश निषाद : उपसभापति जी, पिछड़े वर्ग के लिए भर्तियों में जो ओबीसी का backlog है, कहीं पर ऐसी सूचना मिलती है कि जब उनके पदों को भरने की बात आती है या वे एप्लीकेशन देते हैं तो उन्हें कह दिया जाता है कि आप इसके योग्य नहीं हैं...**(व्यवधान)**... जबकि हमारी सरकार ओबीसी और पिछड़े वर्ग के प्रति काफी संवेदनशील है। सरकार इस वर्ग का उत्थान चाहती है और इस बारे में कार्य भी कर रही है।...**(व्यवधान)**... मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या वे इसकी जांच करांएगी कि इस तरह की बात इस वर्ग के साथ न हो?...**(व्यवधान)**...

सुश्री प्रतिमा भौमिक : हमारी सरकार ओबीसी के उत्थान के लिए प्रतिबद्ध है। अभी केन्द्र सरकार के मंत्रिमण्डल का जो expansion हुआ है, हम सबको पता है कि उसमें सबसे ज्यादा ओबीसी के लोग मंत्री बनाए गए हैं।...**(व्यवधान)**... इससे प्रतीत होता है कि हमारी सरकार ओबीसी के प्रति कितनी संवेदनशील है। ...**(व्यवधान)**...ओबीसी का केन्द्र की सरकारी भर्तियों में 27 प्रतिशत का आरक्षण है और हर स्टेट का अपना-अपना कोटा इसमें आरक्षित है। ...**(व्यवधान)**... मैं स्टेट्स की बात न करते हुए यह कहना चाहती हूं कि केन्द्र सरकार की सेवाओं में भर्ती का जो भी कोटा आरक्षित है और जो भी उसकी स्थिति है, वह सब बरकरार है।...**(व्यवधान)**...इसके अलावा माननीय सदस्य अगर और जानकारी चाहते हैं तो वे मुझसे आकर मिलें, हम इस पर चर्चा करेंगे।

श्री उपसभापतिः प्रश्न संख्या 105 ...**(व्यवधान)**... Q. No. 105. Shri T.G. Venkatesh. ...*(Interruptions)*... Shri T.G. Venkatesh. ...*(Interruptions)*...